बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

संख्या–8 / नियम संशोधन–07–10 / 2014– (8) / रा0, पटना–15 दिनांक–

राज्य के सुयोग्य श्रेणी के वास रहित परिवारों को वास हेतु 05 डिसमिल जमीन तथा कलस्टर (यथा सम्भव 20 परिवार) में बसाने के संदर्भ में 05 डिसमिल जमीन प्रति परिवार की दर से (अर्थात 100 डिसमिल) वास हेतु तथा वास भूमि के अलावे 20 डिसमिल अतिरिक्त जमीन आन्तरिक सड़क एवं सामुदायिक भवन के लिए उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नीति, 2015

वर्त्तमान राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में वास रहित महादलित एवं सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को वास हेतु 03 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराने का प्रावधान है। उक्त जमीन यथा सम्भव गैर मजरूआ मालिक / गैर मजरूआ आम / बी0पी0पी0एच0टी0 एक्ट के तहत पर्चा बन्दोवस्ती द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। जहाँ उक्त तीनों स्रोतों से वास भूमि उपलब्ध नहीं है, वहाँ एम0भी0आर0 के आधार पर रैयती भूमि क्रय कर उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

अनुसूचित जाति / जनजाति एवं अन्य सुयोग्य श्रेणी के परिवार जहाँ निवास करते हैं, वहीं अपने छोटे जानवरों यथा सूअर, मुर्गी, बकरी आदि के आवासन की भी व्यवस्था करते हैं। फलतः उनका निवास स्थान उन जानवरों की जीवन शैली के कारण काफी गंदा हो जाता है जिससे कई तरह की बिमारियाँ फैलती हैं। छोटे जानवरों को पालना ऐसे परिवारों की आजिविका का मूल आधार होता है क्योंकि सामान्यतः ऐसे परिवार मजदूरी करके ही जीवन बसर करते हैं। ऐसे परिवारों को स्वास्थ्य एवं साफ सुथरा परिवेश देने के लिए आवश्यक है कि उन्हें 03 डिसमिल जमीन के बजाय 05 डिसमिल जमीन उपलब्ध करायी जाय। इससे यह होगा कि जमीन के कुछ हिस्से में वे अपने छोटे जानवरों के रहने की समुचित व्यवस्था कर सकेंगे। साथ ही शाक–सब्जी आदि भी उगा सकेंगे। फलतः उन्हें स्वस्थ्य एवं साफ सुथरा परिवेश मिल सकेगा।

चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतएव वासहीन सुयोग्य श्रेणी एवं महादलित परिवारों को कलस्टर में बसाना ज्यादा व्यवहारिक होता है। वैसी परिस्थिति में यह विचारणीय हो जाता है कि कलस्टर में वासभूमि आवंटित करते समय आंतरिक सड़क तथा समुदायिक भवन के लिए भी भूमि उपलब्ध करायी जाय। यदि आंतरिक सड़क की व्यवस्था न होगी तो यह समस्या उत्पन्न होगी कि वहाँ बसे लोग यदि अपने घरों से निकलेंगे तो किसी अन्य के घर आँगन से ही होते हुए बसाहट के बाहर जायेंगे। इससे उस समुदाय में अशांति पैदा हो सकती है। साथ ही सामुदायिक रूप से मिलने जुलने का स्थान न होने से सामुदायिक जीवन की आवश्यकताएँ भी पूरी नहीं हो सकती।

अतः इस विषय पर भली–भाँति विचार कर राज्य के सुयोग्य श्रेणी के वास रहित परिवारों को वास हेतु भूमि को उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार निम्नलिखित नीति विनिश्चित करती है :–

राज्य के सुयोग्य श्रेणी के वास रहित परिवारों को वास हेतु 05 डिसमिल जमीन तथा कलस्टर (यथा सम्भव 20 परिवार) में बसाने के संदर्भ में 05 डिसमिल जमीन प्रति परिवार की दर से (अर्थात 100 डिसमिल) वास हेतु तथा वास भूमि के अलावे 20 डिसमिल अतिरिक्त जमीन आन्तरिक सड़क एवं सामुदायिक भवन के लिए उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नीति, 2015

बिहार महादलित विकास योजना रैयती भूमि की क्रय नीति, 2010 एवं बिहार गृह स्थल योजनान्तर्गत रैयती भूमि की क्रय नीति, 2011 में संशोधन करते हुए राज्य के वास रहित सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को वास हेतु वर्त्तमान की 03 डिसमिल की नीति में परिवर्त्तन कर 05 डिसमिल जमीन तथा कलस्टर (यथा सम्भव 20 परिवार) में बसाने के संदर्भ में 05 डिसमिल जमीन प्रति परिवार की दर से (अर्थात 100 डिसमिल) वास हेतु तथा वास भूमि के अलावे 20 डिसमिल अतिरिक्त जमीन आन्तरिक सड़क एवं सामुदायिक भवन के लिए उपलब्ध कराने का प्रावधान किया जायेगा। यह भूमि गैर मजरूआ आम/गैर मजरूआ मालिक श्रेणी की होगी किन्तु इस श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं होने की दशा में एम0भी0आर0 दर पर क्रय कर भूमि उपलब्ध करायी जा सकेगी। आन्तरिक सड़क एवं सामुदायिक भवन के लिए ली गई जमीन की प्रकृति सरकारी भूमि की होगी।

2. अन्यान्य –

इस नीति के कार्यान्वयन के संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यथा आवश्यक निदेश जारी कर सकेगा एवं कार्यान्वयन में आनेवाली कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति उक्त विभाग में निहित होगी।

3. यह नीति संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(व्यास जी),
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–8/नियम संशोधन–07–10/2014– (8)/रा0, पटना–15 दिनांक–

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(व्यास जी),
प्रधान सचिव।

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक–8/नियम संशोधन–07–10/2014– (8)/रा0, पटना–15 दिनांक–
प्रतिलिपि–वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(व्यास जी),
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–8/नियम संशोधन–07–10/2014– (8)/रा0, पटना–15 दिनांक–
प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को (सी0डी0 सहित), बिहार गजट के विशेष अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(व्यास जी),
प्रधान सचिव।

FAX
E. mail

ज्ञापांक–8/नियम संशोधन–07–10/2014–153 (8)/रा0, पटना–15 दिनांक– 09/2/15
प्रतिलिपि–सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(व्यास जी),
प्रधान सचिव।